राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 476 / 2024

मदन मोहन भार्गव —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, प्रशासन स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका छबडा, बांरा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित —</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सफाई निरीक्षक ग्रेड—II के पद पर दिनांक 14.09.2018 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में सफाई निरीक्षक ग्रेड—II के पद पर कार्यालय, नगरपालिका, छबड़ा, जिला बांरा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का सही नाम के स्थान पर गलत नाम मदनमोहन भाया दर्शातें हुए स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से चूरू में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की माताजी का स्वर्गवास दिनांक 12.02.2024 को हो गया है तथा पिताजी काफी वृद्ध एवं विकलांग है। जिनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी भी विकलांग है तथा अपीलार्थी को कानों से कम सुनाई देता है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के गृह जिले में कुल 6 नगरपालिकायें अन्ता, अटरू, गांगरोल, कलवाड़ा, छबड़ा एवं पीसवाली है।

जिनमें भी सफाई निरीक्षक ग्रेड–II के पद रिक्त है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के लिए कोई निवेदन नहीं किया तथा स्थानान्तरण पर अपीलार्थी को स्थानान्तरण भत्ता एवं डी.ए. नियम 17 (4) के अनुसार देय है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को चूरू के लिए कार्यमुक्त नहीं करे तथा अपीलार्थी को सफाई निरीक्षक ग्रेड–II के पद पर कार्यालय, नगरपालिका, छबड़ा, जिला बांरा में कार्य करने दिया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से चूरू में प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2018 से स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर छबड़ा में कार्यरत है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
8. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)